

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

1444
2

// विविध आदेश //

क्रमांक.....127 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 01 / 07 / 2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार अपंजीकृत सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय)	अनरजिस्टर्ड सिविल Case No. 1 to 9 अनरजिस्टर्ड सिविल Case No. 10 to 18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....3231 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
2. प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0/फाईलिंग काउण्टर रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)